

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :- 118/2015
CIS No. :- TS/274/2018
CNR No. :- BRWC22-000270-2018

नजाउ मियां बनाम् शंकर महतो एवं अन्य

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
<u>25.02.2022</u>	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक—02.12.2021 पर सुना गया। <u>निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक—02.12.2021</u> वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र दिनांक 02.12.2021 आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या—1 शंकर महतो की मृत्यु दिनांक 12.10.2021 को हो गया है। उनके वारिसान को प्रतिस्थापित करने की याचना किया है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समयावधि के अन्दर है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अतः वाद के अग्रसारण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2021 स्वीकार किये जाने योग्य है। <u>आदेश</u> प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2021 स्वीकार किया जाता है। वादी वादपत्र में वांछित संशोधन/प्रतिस्थापना विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करें। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही/प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक—16.03.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	